न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–195/2010/भीलवाड़ा (2010/00017)

1. शम्भूसिंह पुत्र माधूसिंह, जाति राजपूत, निवासी सहाड़ा का खेड़ा, मजरा, सहाड़ा, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. सायर कंवर बेवा भंवरसिंह, जाति राजपूत, निवासी सहाड़ा का खेड़ा मजरा सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा । **(फौत) नाम तर्क**
2. लियाकत हुसैन पिता रणजीतसिंह, जाति पठान, नि0 सहाड़ा, तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, सहाड़ा ।

रेस्पोर्डेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार, सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा दिनांक 12.12.2004 विरूद्ध नामांतकरण संख्या 591.

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांक :– 31.5.2018

अपीलांट ने यह अपील नायब तहसीलदार, सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित नामांतकरण संख्या 591 आदेश दिनांक 12.12.2004 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि खाता संख्या 555 आराजी किता 5 रकबा 0.95 है0 में 1/8 हिस्सा, खाता संख्या 556 किता 13 रकबा 4.79 है0 में 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 556 रकबा 5. 36 है0 में 1/8 हिस्सा व खाता संख्या 558 किता 2 रकबा 0.06 है0 में 1/6 हिस्सा का खातेदार भंवरसिंह पुत्र देवीसिंह था । भंवरसिंह पुत्र

देवीसिंह ने रेस्पो0 संख्या 1 सायर कंवर पत्नि भंवरसिंह की सहमति से अपने अंतिम इच्छा पत्र दिनांक 3.8.2000 के द्वारा अपनी स्वअर्जित आराजियात व अन्य चल–अचल सम्पति अपीलांट के नाम वसीयत कर दी थी । मृतक भंवरसिंह एवं सायरकंवर की सहमति से वसीयतनामा दिनांक 3.8.2000 के आधार पर अपीलांट वर्तमान में मृतक की समस्त चल व अचल सम्पति पर काबिज काश्त चला आ रहा है । अपीलांट ने उक्त वसीयतनामा दिनांक 3.8.2000 के आधार पर ग्राम पंचायत, सहाड़ा एवं नायब तहसीलदार, सहाड़ा के यहां वसीयतमाना प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर नामांतकरण संख्या 591 में लिप्त आराजियात उसके नाम दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन ग्राम पंचायत, सहाड़ा द्वारा प्रमाणित सजरा में मृतक भंवरलाल के कोई पुत्र व पुत्री नहीं होना दर्शाते हुए आदेश दिनांक 12.12.2004 द्वारा एक मात्र मृतक भंवरसिंह के बेवा रेस्पो0 संख्या 1 को सजरा में दर्शाते हुए रेस्पो0 संख्या 1 के नाम भंवरसिंह की आराजियात दर्ज कर दी । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोर्डेटस के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया कि मृतक भंवरसिंह एवं उसकी पत्नि रेस्पो0 संख्या 1 ने आपसी सहमति से प्रार्थी के पक्ष में भंवरसिंह द्वारा धारित समस्त चल व अचल सम्पति की वसीयत दिनांक 3.8.2000 को निष्पादित कर नोटेरी से तस्दीक कराया था । नामांतकरण संख्या 591 में लिप्त आराजियात पर प्रार्थी अकेला काबिज काश्त है लेकिन नायब तहसीलदार, सहाड़ा ने बिना कब्जा व वसीयतनामा की जांच किये व बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये नामांतकरण को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम स्वीकार किया है जिससे प्रार्थी के हक व हित प्रभावित हुए है एवं प्रार्थी प्रकरण में पीड़ित एवं आवश्यक पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2004 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

4- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधि0 प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि नायब तहसीलदार, सहाड़ा ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी थी । अप्रार्थी संख्या 1 ने नामांतकरण संख्या 591 में लिप्त आराजियात को अप्रार्थी संख्या 2 को विक्रय कर दी तथा अप्रार्थी संख्या 2 दिनांक 13.12.2010 को प्रार्थी को विवादित आराजियात से बेदखल करने व कब्जा लेने पहुंचा तथा विवादित आराजियात क्रय करना बताया तब अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई । तत्पश्चात अपीलांट ने पटवारी हल्का से नामांतकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की

है। अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि तहसीलदार, सहाड़ा ने बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये तथा बिना कब्जे की जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि भंवरसिंह पुत्र देवीसिंह ने रेस्पो0 संख्या 1 सायर कंवर पत्नि भंवरसिंह की सहमति से अपने अंतिम इच्छा पत्र दिनांक 3.8.2000 के द्वारा अपनी स्वअर्जित आराजियात व अन्य चल–अचल सम्पति अपीलांट के नाम वसीयत कर दी थी । उक्त वसीयतनामा/अंतिम इच्छापत्र में अपीलांट के पक्ष में रेस्पो0 संख्या 1 की सहमति के रूप में हस्ताक्षर है । ऐसी स्थिति में अपीलांट उक्त वसीयतनामा/अंतिम इच्छापत्र के आधार पर मृतक खातेदार भंवरसिंह की आराजियात का खातेदार था तथा विवादित आराजियात पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 को प्रारंभ से ही थी । भंवरसिंह द्वारा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा/अंतिम इच्छापत्र के बाद विवादित आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 के कोई हक व अधिकार नहीं रह गये थे परन्तु इसके बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 ने रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में विवादित आराजियात का विक्रय पत्र का निष्पादन करवा दिया जो प्रारंभ से प्रभाव शून्य एवं अवैध है । रेस्पो0 संख्या 1 ने नामांतकरण संख्या 591 में लिप्त आराजियात गलत इंद्राज के आधार पर रेस्पो0 संख्या 2 को बिना कब्जा के नुमाईशी विक्रय विलेख से विक्रय की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि नायब तहसीलदार ने भी कब्जे की जांच किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का अपीलाधीन आदेश नामांतकरण संख्या 591 दिनांक 12.12.2004 को निरस्त किया जाकर अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नामांतकरण निर्णित करने हेतु नायब तहसीलदार, सहाड़ा को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावे । xx

6- विद्वान वकील रेस्पोडेट संख्या 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात के खातेदार मृतक भंवरसिंह थे जिनकी मृत्यु उपरांत विवादित आराजियात जरिये विरासत नामांतकरण संख्या 591 दिनांक 12.12.2004 के विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 सायर कंवर पत्नि भंवरसिंह के नाम दर्ज हुई । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा विवादित आराजियात का पंजीकृत विक्रय पत्र रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 13.12.2010 को निष्पादित किया जाकर विवादित आराजियात का कब्जा काश्त संभलाया गया है । अपीलांट विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार नहीं है इसलिये अपीलांटस अपीलाधीन आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार भी नहीं है । अपीलांट ने तथाकथित वसीयत/अंतिम इच्छापत्र के आधार पर नामांतकरण संख्या 591 दिनांक 12.12.2004 को चुनौती दी है किन्तु

तथाकथित वसीयतनामे को सक्षम न्यायालय से प्रमाणित कराये बिना अपीलांट को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा ना ही राजस्व न्यायालय को वसीयत के विनिश्चयन का अधिकार ही है । अधी0न्याया0 ने हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 8 के अनुसार मृतक खातेदार के विधिक वारिस रेस्पो0 संख्या 1 के नाम विरासत का नामांतकरण तस्दीक किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । रेस्पो0 संख्या 2 विवादित आराजियात का सद्भाविक क्रेता है तथा रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । नायब तहसीलदार, सहाड़ा का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।xx

7- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट का कथन है कि मृतक खातेदार भंवरसिंह ने अपीलांट के पक्ष में दिनांक 3.8.2000 को अंतिम इच्छा पत्र/वसीयत निष्पादित की थी किन्तु नायब तहसीलदार, सहाड़ा ने खातेदार की मृत्यु उपरांत अपीलांट के पक्ष में वसीयत के आधार पर नामांतकरण तस्दीक नहीं कर रेस्पो0 संख्या 1 सायर कंवर पत्नि भंवरसिंह के पक्ष में विरासत का नामांतकरण तस्दीक किया है जिससे अपीलांट के हक प्रभावित हुए है । चूंकि अपीलांट के पक्ष में खातेदार भंवरसिंह ने दिनांक 3.8.2000 को अंतिम इच्छा पत्र/वसीयत निष्पादित की है जिसे सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8- अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने अपने अपील मीमों में वसीयतनामा के आधार पर नामांतकरण संख्या 591 में लिप्त आराजियात अपीलांट के नाम दर्ज करने की प्रार्थना ग्राम पंचायत, सहाड़ा से किये जाने का कथन किया है वहीं दूसरी तरफ अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 में नामांतकरण संख्या 591 दिनांक 12.12.2004 की जानकारी रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा विवादित आराजियात का कब्जा लेने आने पर होने का कथन किया है जो परस्पर विरोधाभासी है । अपीलांट द्वारा अपील मीमों में दर्शाये कथनों से यह स्पष्ट है कि अपीलांट को नामांतकरण संख्या 591 दिनांक 12.12.2004 की जानकारी प्रारंभ से थी परन्तु इसके बावजूद अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2004 के विरूद्ध भारी मियाद बाहर सन् 2010 में अपील प्रस्तुत की गई है जो निश्चित रूप से भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है तथा अपीलांट ने विलंब के भी संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये है। अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित कथनों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से भी खारिज योग्य पायी जाती है ।

9- गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने नामांतकरण संख्या 591 दिनांक 12.12.2004 को वसीयत के आधार पर चुनौती दी है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के खातेदार मृतक भंवरसिंह थे जिसकी मृत्यु होने पर नायब तहसीलदार, सहाड़ा ने मृतक खातेदार की पत्नि रेस्पो0 संख्या 1 सायर कंवर के नाम विरासत नामांतकरण तस्दीक किया है । जहां तक अपीलांट के पक्ष में निष्पादित अंतिम इच्छा पत्र/वसीयत का प्रश्न है अपीलांट तथाकथित वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से प्रोबेट कराये बिना कोई अनुतोष प्राप्त नहीं करा सकता है तथा ना ही राजस्व न्यायालय को गोदनामा/वसीयत संबंधी बिन्दु के विनिश्चयन का अधिकार है । भू–राजस्व अधि0 की धारा 135 के अनुसार नामांतकरण के क्रम में प्राकृतिक वारिसान को प्राथमिकता देनी चाहिये । चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो0 संख्या 1 मृतक खातेदार की पत्नि होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है । नायब तहसीलदार, सहाड़ा ने हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 8 के अनुसार विरासत नामांतकरण संख्या 591 मृतक खातेदार भंवरसिंह की पत्नि रेस्पो0 संख्या 1 सायर कंवर के नाम तस्दीक किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपील साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट मियाद एवं गुणावगुण पर अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 12.12.2004 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 195/2010 (2010/00017) बउनवानी शम्भूसिंह बनाम सायर कंवर को धारा 5 मियाद तथा गुणावगुण पर अपास्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार, सहाडा द्वारा नामांतकरण संख्या 591 दिनांक 12.12.2004 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 31.5.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर